बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—: : आदेश : :—

आदेश सं०—27/परि0—06—11/2026—सा0प्र0..............पटना—15, दिनांक............

श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—878/26, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के विरूद्ध श्री श्रीकान्त प्रसाद द्वारा परिवाद पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं था।

परिवाद पत्र में शिकायत अंकित किया गया कि श्री मनीष कुमार द्वारा भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया गया है। शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत सभी डीलरों से 20/— प्रति क्विंटल के दर से नाजायज राशि श्री अखिलेश सिंह शेरघाटी के डीलर के माध्यम से वसूलवाते हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी, गया के नाम पर भी अलग से 5/— प्रति क्विंटल के दर से भी वसूलते हैं।

विभागीय पत्रांक—4395 दिनांक—05.03.2026 द्वारा परिवादी श्री श्रीकान्त प्रसाद से उनके द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में इस विभाग को शपथ पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

श्रीकान्त प्रसाद द्वारा पत्रांक—15/26 दिनांक—14.03.2026 के माध्यम से इस विभाग को सूचित किया गया कि उनके लेटर पैड पर किसी व्यक्ति द्वारा जाली हस्ताक्षर कर श्री मनीष कुमार के विरूद्ध आरोप लगाया गया है। उक्त आरोप इनके द्वारा नहीं लगाया गया है।

श्रीकान्त प्रसाद द्वारा अनुरोध किया गया कि इनके लेटर पैड पत्रांक—05/26 दिनांक—16.02.2026 को मान्यता नही दी जाय।

प्राप्त परिवाद पत्र एवं परिवादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—878/26, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह0/-
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—27/परि0—06—11/2026—सा0प्र0...7821...पटना—15, दिनांक...5.5.26

प्रतिलिपि :— श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—878/26, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

05-05-26

सरकार के अवर सचिव।